

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या 40-एच०एल०ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022

मार्च, 2023 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और कतिपय राशियों का आगे भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। सक्षिप्त नाम।
2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक की ऐसी राशियां, जो कुल मिलाकर केवल एक हजार दो सौ इक्कीस करोड़ सत्तावन लाख तीस हजार रूपए केवल (₹ 1221,57,30,000/-) होती है, ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए, जो उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बारे में, मार्च, 2023 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होगी, हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹1221,57,30,000/- का दिया जाना।
3. इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो मार्च, 2023 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं। विनियोग।

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	मुख्य शीर्ष	राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हों		जोड़
		राजस्व	विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित	
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
01	विधान सभा	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	13,20,000	..	13,20,000
		कुल	13,20,000	..	13,20,000
02	राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्	2013-मंत्रीपरिषद्	10,00,000	..	10,00,000
		कुल	10,00,000	..	10,00,000
03	सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन	2051-लोक सेवा आयोग ..	23,50,000	23,50,000 ..
		कुल	23,50,000	..	23,50,000
05	गृह/कारागार/गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	2055-जुलैस 2056-जेल	2,00,000 1,00,000	2,00,000 1,00,000
		कुल	3,00,000	..	3,00,000
10	खान एवं भू-विज्ञान/ कृषि/बागवानी/ पशुपालन तथा जेयरी विकास/मछली पालन/वन तथा वन्य प्राणी/परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	2401-फसल कृषि कर्म 2403-पशुपालन 2405-मछली पालन 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी 2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग 3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण ..	1,00,000 68,01,00,000 1,00,000 2,00,000 1,00,000 1,00,000	1,00,000 68,01,00,000 1,00,000 2,00,000 1,00,000 1,00,000 ..
		कुल	68,07,00,000	..	68,07,00,000

सूची

मुख्य शीर्ष	राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हों		जोड़	जोड़
पूँजीगत	विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित		राजस्व और पूँजीगत
7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	13,20,000
	13,20,000
	10,00,000
	10,00,000
	23,50,000
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,00,00,000	...	1,00,00,000	1,00,00,000
कुल	1,00,00,000	...	1,00,00,000	1,23,50,000
	2,00,000
	1,00,000
	3,00,000
	1,00,000
	68,01,00,000
	1,00,000
	2,00,000
	1,00,000
	1,00,000
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	8,09,60,000	...	8,09,60,000	8,09,60,000
कुल	8,09,60,000	...	8,09,60,000	76,16,60,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
11	खाद्य एवं पूर्ति / सहकारिता	2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार 2425-सहकारिता	1,00,000 1,00,000	1,00,000 1,00,000
		कुल	2,00,000	...	2,00,000
12	शिक्षा (उच्चतर / माध्यमिक / प्राथमिक) / तकनीकी शिक्षा / महिला एवं बाल विकास)	2202-सामान्य शिक्षा 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	345,00,00,000 1,00,000	345,00,00,000 1,00,000
		कुल	345,01,00,000	...	345,01,00,000
13	खेलकूद तथा युवा कल्याण / कला एवं संस्कृति / पर्यटन	2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 3452-पर्यटन	2,00,000 1,00,000	2,00,000 1,00,000
		कुल	3,00,000	...	3,00,000
14	स्वास्थ्य / डीएमईआर / आयुष / ईएसआई / एफडीए	2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य	1,00,000	...	1,00,000
		कुल	1,00,000	...	1,00,000
15	श्रम / रोजगार / कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	3,00,000	...	3,00,000
		कुल	3,00,000	...	3,00,000
16	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण / सामाजिक न्याय और अधिकारिता / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,00,000 2,00,000	1,00,000 2,00,000
		कुल	3,00,000	...	3,00,000

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	1,00,000
	1,00,000
	2,00,000
	345,00,00,000
	1,00,000
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	30,00,00,000	...	30,00,00,000	30,00,00,000
कुल	30,00,00,000	...	30,00,00,000	375,01,00,000
	2,00,000
	1,00,000
	3,00,000
	1,00,000
	1,00,000
	3,00,000
	3,00,000
	1,00,000
	2,00,000
	3,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
17	भवन तथा सड़कें/ परिवहन/ नागर विमानन	2041-वाहन कर 2216-आवास 3053-नागर विमानन 3055-सड़क परिवहन	1,00,000 1,00,000 1,00,000 208,66,00,000	1,00,000 1,00,000 1,00,000 208,66,00,000
		कुल	208,69,00,000	...	208,69,00,000
18	सूचना तथा प्रचार/ इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी/ मुद्रण तथा लेखन सामग्री	2852-उद्योग	1,00,000	1,00,000 ...
		कुल	1,00,000	...	1,00,000
19	सिंचाई/ उद्योग और वाणिज्य/ एमएसएमई/ पूर्ति तथा निपटान/ विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2057-पूर्ति तथा निपटान 2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग	1,00,000 130,00,00,000	1,00,000 130,00,00,000
		कुल	130,01,00,000	...	130,01,00,000
20	शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा)/ स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय/ अग्निशमन सेवाएं)/ ग्रामीण और सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/ विकास और पंचायत)/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 2217-शहरी विकास 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,00,000 100,02,00,000 2,00,000 2,00,000	1,00,000 100,02,00,000 2,00,000 2,00,000
		कुल	100,07,00,000	...	100,07,00,000
		कुल जोड़	852,47,70,000	...	852,47,70,000

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	1,00,000
	1,00,000
	1,00,000
	208,66,00,000
5055--सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिच्यय	350,00,00,000	...	350,00,00,000	350,00,00,000
कुल	350,00,00,000	...	350,00,00,000	558,69,00,000
	1,00,000
4859--दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिच्यय	...	148,00,00,000	148,00,00,000	148,00,00,000
कुल	148,00,00,000	...	148,00,00,000	148,01,00,000
	1,00,000
	130,00,00,000
	130,01,00,000
	1,00,000
	100,02,00,000
	2,00,000
	2,00,000
	100,07,00,000
कुल जोड़	537,09,60,000	...	537,09,60,000	1389,57,30,000

क्रम संख्या	मद	(राशि रुपयो मे)
1.	अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त (2022-23)	13,89,57,30,000
2.	मांग संख्या 10, मुख्य शीर्ष 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत उपलब्ध अनुपयोगी राशि	68,00,00,000
3.	मांग संख्या 20, मुख्य शीर्ष 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत उपलब्ध अनुपयोगी राशि	1,00,00,00,000
	शुद्ध अनुपूरक राशि दूसरी किस्त (2022-23)	12,21,57,30,000

उद्देश्यों एवं कारणों तथा विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2022-23 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

मनोहर लाल,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़:

दिनांक 27 दिसम्बर, 2022.

आर० के० नांदल,

सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।